



“क्षिप्रा विहार योजना में पूर्व की विभिन्न विज्ञप्तियों के अंतर्गत शेषरहे भूखण्डों के पंजीयन हेतु सुनहरा अवसर”

प्राधिकरण की क्षिप्रा विहार योजना में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की प्रथम से तृतीय विज्ञप्ति तथा एल.आय.जी. श्रेणी की चतुर्थ एवं पंचम के अंतर्गत पूर्व में प्रसारित विज्ञप्तियों के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों के विकासाधीन आवासीय भूखण्डों के लिये पंजीयन किये गये थे। शेषरहे विभिन्न श्रेणियों के भूखण्डों को प्रिमियम राशि तथा वार्षिक लीज आधार पर निर्वतन हेतु भूखण्ड क्रमाकवार/आरक्षणवार आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2012 से प्राधिकरण की सम्पदा शाखा में प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धति के आधार पर पंजीयन हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। प्रथम दिवस को ही भूखण्ड क्रमांक विशेष के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी दिनांक को अपराह्न 4.30 बजे कार्यालय की सम्पदा शाखा में उपस्थित आवेदकों के समक्ष लाटरी पद्धति से पंजीयन कन्फर्म किये जावेंगे। प्रथम दिवस के पश्चात शेषरहे भूखण्डों हेतु प्रतिदिन प्रातः 11 से अपराह्न 4.00 बजे तक आवेदन पत्र प्रथम आओ प्रथम पद्धति से पंजीयन किये जावेंगे।

क्र.	श्रेणी	भूखण्ड संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल व.मी.में	दर प्र.व.मी.	अनुमानित मुल्य	पंजीयन राशि
1	EWS	03	5X9 मी.= 45	5905/-	2,65,725	55,000/-
2	LIG	34	8X12 मी.= 96	8,000/-	7,68,000	1,60,000/-

उपरोक्त भूखण्डों हेतु आरक्षण निम्नानुसार है:-

कुल भवन संख्या	सामान्य	अ.ज.जा	पीछडा वर्ग	स्व. सं. सेनानी	कर्मचारी कोटा	विकलांग	सैनिक भू.पू. सैनिक	बुद्धिजीवी / श्रमजीवी पत्रकार एवं कलाकारों के लिये
EWS 45 व.मी	A- 15/30 D- 21/35	--	--	--	D- 16/31	--	--	--
LIG 96 व.मी	D- 14/6 D- 14/10 D- 7/11 D-7/8	D-13/3 D-13/6 D- 13/10 D- 14/12 D-	D- 14/18 D- 7/6 D- 7/17 D-	D- 10/4 D- 14/4 D-8/3	D- 13/8 D- 14/3	D- 7/10 D- 7/21	D- 13/7	D-11/11

D- 7/13	14/16	7/20					
D- 7/25	D-7/3	D- 7/18					
D- 7/22	D-7/5						
D- 8/10	D-7/9						
D-8/4	D-7/12						
	D-7/14						
	D-8/12						

नोट:- भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित दर्शाया गया है। वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्ड की प्रिमियम राशि तथा अन्य राशियां मांग अनुसार जमा करवाना होगी।

- 1- पंजीयन पश्चात भूखण्ड प्रीमियम की 60 प्रतिशत राशि प्राधिकरण कार्यालय के मांग सूचना पत्र अनुसार 30 दिवस में जमा करवाना होगी। तथा शेष राशियां विकास कार्य पूर्ण होने पर मांग सूचना अनुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- 2- आवेदन पत्र शुल्क रू. 100/- एक सौ मात्र (वापसी योग्य नहीं) जमा करवाकर दिनांक 27.01.2012 से कार्यालयीन समय में संपदा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 3- भूखण्ड हेतु पंजीयन राशि क्रासड बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो उ.वि.प्रा. उज्जैन के खाते में भुगतान योग्य हो अथवा नगद धनराशि चालान द्वारा इंडियन ओव्हरसीज बैंक, भरतपुरी, उज्जैन के काउन्टर में जमा हो, मान्य की जावेगी। पंजीयन राशि हेतु चेक कतई स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- 4- आरक्षित कोटे हेतु आवेदन करने के लिये सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 5- आवेदनकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि स्थल का भौतिक निरीक्षण कर ही आवेदन करें।
- 6- अन्य जानकारियों हेतु कृपया प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujain.org देखें।

(हुकुमसिंह पाटीदार)
सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन